

an>

Title: Need to rationalise the railway freight for transportation of coal to power generating stations.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे फ्रेट की मौजूदा संरचना के अनुसार कोयला खदानों के पास स्थित बिजली स्टेशनों को दूर किया जा रहा है। इससे यहां मौजूदा टैरिफ स्ट्रक्चर के अनुसार दूरी बढ़ जाती है, जिससे रेलवे फ्रेट भी बढ़ जाता है। इसलिए कोयले की रेल फ्रेट बहुत ज्यादा है और कोयले को उतारने की लागत गुजरात के दूर स्थित पावर स्टेशनों के लिए बहुत अधिक है। यह शुल्क कुछ इस तरह पड़ता है-पश्चिमी तट के लिए इण्डोनेशिया से आयातित कोयले की ढुलाई 3150 प्रति मीट्रिक टन, आस्ट्रेलिया से भारतीय तट 725 रुपये प्रति 1000 मीट्रिक टन। भारतीय रेलवे भी मानसून अवधि के तीन महीने छोड़कर लगभग पूरे वर्ष के लिए व्यस्त मौसम अधिभार वसूलता है। गुजरात के दूर स्थित पावर स्टेशनों के लिए कोयले की ढुलाई के लिए रेलवे फ्रेट प्रति यूनिट ईंधन लागत के बारे में 60 प्रतिशत से 65 प्रतिशत लेता है जो बहुत अधिक है। इसके रिजल्ट के अनुसार जी.एस.ई.सी.एल. की बिजली स्टेशनों को योग्यता के आदेश से बाहर धकेल दिया जाता है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि रेलवे फ्रेट का सुकिकरण किया जाए तथा बिजली उत्पादन के लिए कोयले की लम्बी दूरी की ढुलाई के लिए माल-भाड़े को तर्क संगत बनाया जाये।